

ई - पत्रिका- 2024

जयचण्डी



दक्षिण पूर्व रेलवे
आद्रा मंडल

“जयचंडी”

विषय सूची

अंक-वर्ष- 2024	क्र. सं.	शीर्षक	लेखक
राजभाषा गृह पत्रिका , दक्षिण पूर्व रेलवे, आद्रा	01	मंडल रेल प्रबंधक का संदेश	श्री सुमित नरूला
	02	अपर मंडल रेल प्रबंधक-सह- अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी का संदेश	श्री के.एन.घोष
	03	संपादकीय : राजभाषा अधिकारी	श्री विकास कुमार
<u>संरक्षक</u>		<u>विषयसूची</u>	
श्री सुमित नरूला मंडल रेल प्रबंधक दक्षिण पूर्व रेलवे/ आद्रा	04	उड़ान (लेख)	श्रीमती मालविका नरूला
	05	बच्चों बाहर हो आओ(कविता)	श्रीमती मालविका नरूला
	06	अथर्व (कविता)	श्री अविनाश कुमार पांडेय
<u>प्रधान संपादक</u>	07	परिदृश्य, तमसो मा ज्योतिर्गमय(कविताएँ)	श्री कौशल गर्ग
श्री के.एन. घोष अपर मंडल रेल प्रबंधक सह अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी	08	मैं था और तुम थी (कविता)	श्री कृष्णपाल सिंह
	09	भारतीय रेलवे: एकता और विविधता का प्रमाण (लेख)	श्री कृष्णपाल सिंह
<u>संपादक</u>	10	मेरी चाहतें (कविता)	स्नेहलता पारिख
श्री विकास कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं राजभाषा अधिकारी	11	कामयाबी (कविता),गज़ल	श्री प्रेम प्रकाश उपाध्याय
	12	राजभाषा संबंधी गतिविधियां	

उप- संपादक श्री उमा शंकर सिंह वरिष्ठ अनुवादक सहयोग मंडल - श्री रोहित कुमार, श्री आतिश कुमार, श्री शैलेश कुमार सिंह, श्री उमेश कुमार निः शुल्क वितरण प्रकाशक मंडल रेल प्रबंधक (राजभाषा) दक्षिण पूर्व रेलवे,आद्रा जिला - पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) पिन- 723121 दूरभाष संख्या - 8250856782 (पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार रचनाकारों के निजी हैं, इस से संपादक मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है)	13	पापा,लोगों के अलग विचार	
	14	तेरी आंखें	श्री विवेक कुमार
	15	पापा की परी	श्री मुकुल आनंद
	16	माँ तुझे सलाम	अनीता तिवारी
	17	चाय की प्याली (कविता)	श्री सजल वासुराय
	18	पास बुलाते बर्फीले जन्नत (यात्रा वृत्तांत)	श्री मनोज कुमार सिंह श्री सिद्धनाथ तिवारी
	19	नाम गुम जाएगा (व्यंग) रेलवे तक का सफ़र (लेख) राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान	श्री मुन्ना सिंह श्री सौभिक घोष
		राजभाषा अधिनियम, 1963	
		राजभाषा प्रश्नोत्तरी	श्री उमा शंकर सिंह

मंडल रेल प्रबंधक का संदेश



श्री सुमित नरूला
मंडल रेल प्रबंधक
दक्षिण पूर्व रेलवे/आद्रा

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि दक्षिण पूर्व रेलवे, आद्रा मंडल की गृह पत्रिका 'जयण्डी' का प्रकाशन राजभाषा विभाग, आद्रा मंडल द्वारा किया गया है। राजभाषा के प्रचार-प्रसार में पत्र-पत्रिकाओं का अविस्मरणीय योगदान रहा है। मुझे आशा है कि इस पत्रिका के प्रकाशन से हमारे कर्मचारियों की प्रतिभा मुखरित होगी। यही इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य भी है।

इस मंडल के स्टेशन 'क' और 'ग' क्षेत्र में पड़ते हैं। इसलिए भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दोहरी जिम्मेदारी हम पर है। सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में हम सक्षम रहे हैं। इसी का सुफल है कि वर्ष 2022 में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस मंडल को राजभाषा शील्ड प्रदान किया गया।

मैं राजभाषा विभाग, आद्रा मंडल को "जयचण्डी" पत्रिका के प्रकाशन के लिए बधाई देता हूँ। राजभाषा के प्रयोग-प्रसार के लिए मंडल में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रशंसा के हकदार हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह पत्रिका अपने उद्देश्यों में सफल होगी।

जय हिंद!

अपर मंडल रेल प्रबंधक का संदेश



श्री के. एन. घोष
अपर मंडल रेल प्रबन्धक
एवं
अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी

यह वर्ष का विषय है कि आदा मंडल की गृह पत्रिका 'जयण्डी' का वर्ष 2024 का अंक प्रकाशित हो रहा है। पत्रिका का प्रकाशन राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके जरिए रेलकर्मियों की रचनाओं को भी प्रकाशित होने का अवसर मिलता है और उनका उत्साह बढ़ता है। इसके माध्यम से रेलकर्मी एक दूसरे की रचनाओं को पढ़ पाते हैं। यह दूसरे रेलकर्मियों के लिए प्रेरणादायक होता है।

यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि वर्ष 2022 में राजभाषा प्रयोग-प्रसार और कार्यान्वयन की दिशा में सराहनीय कार्य करने के लिए आद्रा मंडल को 'राजभाषा शील्ड' प्रदान किया।

पत्रिका के इस अंक में राजभाषा के प्रयोग-प्रसार को ध्यान में रखकर सामग्री दी गई है, जो रेलकर्मियों के दैनिक काम-काज में उपयोगी सिद्ध होगी। आशा है 'जयचण्डी' अपने उद्देशन में सफल होगी और इसका प्रकाशन इसी तरह निरंतर जारी रहेगा।

जय हिंद!

संपादक की कलम से



श्री विकास कुमार
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक
एवं
राजभाषा अधिकारी

यह हर्ष का विषय है कि आद्रा मंडल, दक्षिण पूर्व रेलवे की गृह पत्रिका 'जयचंडी' वर्ष 2024 का प्रकाशन हो रहा है। यह अंक नए विचारों के प्रकटीकरण तथा हिंदी के प्रचार-प्रसार का काम करेगा। वर्तमान रेलकर्मों, भूतपूर्व रेलकर्मों और उनके परिजनों की रचनाएँ प्रस्तुत अंक में समाहित की गई हैं और यही इसकी शोदेश्यता है। भाषा मिट्टी से बनती है। इसलिए शब्दों का स्थान शब्दकोश में तय नहीं किया जा सकता। हमारा रेल परिवार 'क' और 'ग' क्षेत्रों में बसा हुआ है। इसलिए विभिन्न रचनाकारों की भाषा में विविधता के साथ-साथ शब्दकोश से बाहर मिट्टी की खुशबू भी विद्यमान है। यह राष्ट्रीयता का द्योतक है।

वैश्वीकरण के दौर में जब भाषाएं अपनी सीमाएं तोड़ रही हों तब कोई भाषा प्रादेशिक नहीं रही जाती। अब सभी भाषाएं ग्लोबल हो चुकी हैं। यही बात हिंदी और उसकी सहायक बोलियाँ भाषाओं पर समान रूप से लागू होती है। इसलिए पिछले दो दशक से राजभाषा हिंदी का स्वरूप बदला है। अब हम शब्दकोश पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहे। बोलचाल में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है, अनुवाद में लिप्यंतरण का प्रयोग बढ़ा है जिससे अनुवाद में सरलता और प्रवाहमयता आई है, और यह राजभाषा हिंदी के लिए शुभ संकेत है। रचनाकारों की रचनाओं में ऐसी भाषा परिलिखित हुई है।

मैं सभी अधिकारियों/कर्मचारियों व पाठकों से आशा करता हूँ कि वे अपने बहुमूल्य सुझावों से अवगत कराएं ताकि पत्रिका का कैनवस बड़ा हो सके।

मैं इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए अपने सभी सहकर्मियों को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने सीमित साधनों के बावजूद इस पत्रिका का सफलतापूर्वक प्रकाशन किया।

जय हिंद !

उड़ान

लघु कहानी

आज सोमवार है। आज से दो महीने पहले सोमवार को ही वो खुशखबरी आई थी। उस दिन कन्नू कितना खुश था। उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उसके पापा भी तो भाग कर मिठाई लेने हल्दीराम गए थे। मोतीचूर के लड्डू लाए थे। उस दिन का कन्नू और उसने बहुत इंतजार किया था, पर नंदनी को क्यों इंतजार था उस खबर का?

क्योंकि जिसमें कन्नू की खुशी वही नंदनी की खुशी। उसकी तो जिंदगी ही कन्नू के चारों तरफ घूमती है। जो कन्नू ने चाहा हमेशा भगवान से यही मांगा कि कन्नू की चाहत पूरी हो। उसकी चाहत उसकी इच्छाएं तो उसी दिन पूरी हो गई थी, जिस दिन संजीव और वो कन्नू को इस घर में लाए थे। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी। इसलिए प्यार से उसे कन्नू बुलाते हैं। वैसे तो उसका नाम विनय है। शादी के बाद पूरे 10 साल बाद उसकी गोद में कन्नू आया था। शादी के उन 10 सालों में कितने डॉक्टरों के चक्कर काटे। कितने ही गंडे, ताबीज़, करे। मंदिरों के चक्कर लगाए। व्रत पूजा ना जाने क्या-क्या। जो कोई भी बोलता था ये कर लो फलाना डॉक्टर को दिखा लो। सब किया पर उसकी गोद हरी न होई। 10 साल तक वो दोनों बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरसते रहे।

फिर एक दिन उसकी सहेली पल्लवी ने बच्चा गोद लेने की सलाह दी। जैसे 9 महीने तक लड़का होगा या लड़की, मां को नहीं पता होता। वैसे ही नंदनी को भी नहीं जानना था कि उसकी गोद में बेटा आएगा या बेटी। सारी कागज़ी कार्यवाही के बाद वह, संजीव और पल्लवी अनाथ आश्रम गए। 'देविका' नाम की स्त्री वह अनाथ आश्रम चलाती थी। उसने उसे कन्नू से मिलवाया। छोटा सा बच्चा पालने में सिकुड़ा हुआ पड़ा था। जब उसने उस बच्चे को देखा तो देखती ही रह गई। और इस तरह कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। लगभग 21 साल पहले कन्नू उसकी गोद में आया था।

पर आज नंदनी को यह सब क्यों याद आ रहा है? क्यों बार-बार उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं? आज फिर से क्यों लग रहा है कि उसकी गोद सूनी होने वाली है। कैसे जिएगी वह कन्नू के बिना? वह तो आज तक एक दिन भी कन्नू के बिना नहीं रही। फिर कैसे कन्नू के बिना 2 साल बिताएगी? सोचते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। कन्नू M.S. करने U.S. है रहा है। STANFORD UNIVERSITY से कॉल आया है। वह भी तो थी चाहती थी कि कन्नू बहुत पढ़े लिखे, खूब तरक्की करे। पर फिर ये बेचैनी क्यों?

कन्नू तो कहता है कि मां सिर्फ दो साल की ही बात है, पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। पर सब कहते हैं कि बच्चे जब U.S. चले जाते हैं तो फिर लौट कर नहीं आते। वहां की चकाचौंध, वहां की quality of life में खो ही जाते हैं। पल्लवी तो के रही थी कि U.S. एक मकड़ी का जाला है, एक बार फंस गए तो निकल नहीं सकते। तो क्या कन्नू भी वहीं का होकर रह जाएगा। उसने तो देखा है पड़ोस के गुप्ता जी का बेटा। सिर्फ दो बार ही U.S. से वापस आया। पहली बार खुद की शादी करने और दूसरी बार अपनी मां के देहांत पर। तो क्या कन्नू वापस आ जाए, इसके लिए उसे मारना पड़ेगा।

यह कैसी दुविधा में फंस गई है वो? यह उसके क्या खेल, खेल रहा है भगवान। पहले भी कन्नू के लिए 10 साल के लिए तरसी और अब फिर से उससे मिलने के लिए तरसेगी।

तभी संजीव उसे चाय बनाने के लिए आवाज़ लगाते हैं। वह रसोई में जाती है। पूरी रसोई फैली हुई है। आज सुबह से वह कन्नू के लिए बेसन के लड्डू, मठरी, शक्कर पारे, चिवड़ा बनाने में व्यस्त है। कुछ तो अपने हाथ का बना हुआ से दू। क्या पता U.S. की चकाचौंध में ये खाकर मां की याद ही आ जाए। वह साड़ी के पल्लू से अपने आसूं पोंछती है, और दो कप लेकर संजीव के पास जाती है। टी. वी. चल रहा है। NATIONAL GEOGRAPHIC चैनल चल रहा है। पता नहीं संजीव को भी सारा दिन पशु पक्षी देखने में क्या मज़ा आता है? तभी वह टी. वी. में देखती है कि कैसे एक चिड़िया अपने बच्चों के मुंह में खाना डाल रही है। कैसे बच्चे भी चोंच खोलकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वह भी सोचती है, चलो थोड़ी देर टी. वी. ही देख लिया जाए। शायद मन ही हल्का हो जाए।

तभी दिखाते हैं कि चिड़िया अपने बच्चों को कैसे उड़ना सीखा रही है। चिड़िया के बच्चे बार-बार गिर रहे हैं, डर रहे हैं। पर चिड़िया भी एक ज़िद्दी बच्चे की तरह उनको सिखाए जा रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें डांट रही है। कभी-कभी समझा भी रही है, डरने से मना कर रही है। कह रही हो, जैसे तुम्हारी नियति ही ऊंचे आसमान में पंख फैलाकर उड़ना है, तो बखौफ उड़ो, तोड़ दो सारे बंधन, ऊपर अनंत आकाश है। तभी देखती है, चिड़िया का एक बच्चा बार-बार गिर पड़कर उड़ पड़ता है। पंख फैलाकर खूब दूर, बहुत ऊंचा। चिड़िया उसको देखती है और खुश होती है। फिर धीरे-धीरे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। चारों बच्चें उड़ जाते हैं। घोंसला पूरा खाली हो जाता है। पर चिड़िया खुश है। यही नियति है। उसके बच्चे अब वापस नहीं आएंगे। अब वो नए घोंसले बनाएंगे। अपनी नई दुनिया बसाएंगे।

सच यही तो नियति है, तो फिर वह दुःखी क्यों? उड़ने दो कन्नू को, पंख फैलाने दो, जी लेने दो उसे अपनी ज़िन्दगी। यह सोचते ही वह मुस्कुरा उठती है, और संजीव से बोलती है "चलो मेरी मदद करो। सारा दिन टी. वी. देखते रहते हो। देखो कितना काम पड़ा है। पैकिंग भी करनी है। कन्नू की कल की ही तो फ्लाइट है"। कल उसका कन्नू अपने पंख फैलाएगा, खूब ऊंचा उड़ेगा।।

श्रीमती मालविका नरुला

अध्यक्षा : द.पू.रे, महिला कल्याण संगठन/आद्रा

**हिंदी देश की एकता की ऐसी कड़ी है, जिसे मजबूत
करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है**

“बच्चों बाहर हो आओ”

जाओ बच्चों बाहर घूम कर आओ,
सारा दिन घर में यूँ न सुस्ताओ ।

कानों से ear phones हटाकर थोड़ा सा गुनगुनाओ,
बारिश की बूंदों से खुद को भिगो कर आओ ।

LOL, हंसने वाले emoji भेजने से बाज़ आओ,
गली के दोस्तों से हंसी के ठहाके लगा कर आओ ।

बचपन के खेल मोबाइल ले गया,
Candy crush, Pub G जैसे गेम दे गया ।

न मालूम तुम्हें पेड़ से तोड़े गए कच्चे अमरूद की मिठास,
न मालूम तुम्हें कच्ची कैरी की खट्ठास ।

बारिश में नंगे पैर खेलने का एहसास कर आओ,
आंख मिचौली, लंगड़ी टांग, छुपम छुपाई जैसे खेल भी खेल आओ ।

क्यों तुमने खुद को बूढ़ा कर दिया,
हाथ पैर होते हुए भी लाचार कर दिया ।

हमेशा बैठे रहने से कुर्सी तुम्हारी धंस गई है,
Screening करते रहने से आंखें थक सी गई हैं ।

कभी कभी उगता हुआ सूरज भी देख लो,
पंछियों की गुनगुनाहट, चिड़ियों की चहचहाहट भी सुन लो ।

जाओ कबूतरों को दाना डाल आओ,
पौधों को पानी और मंदिर में दिया जला आओ ।

घर में होम डिलीवरी होना आम सी बात हो गई है,
Swiggy, Zomato को रोज़ रोज़ देखना, एक आदत सी हो गई है ।

KFC, Dominoes, Burger King का स्वाद तो चखते ही रहते हो,
कभी नुक्कड़ वाली दुकान का समोसा, जलेबी भी खा आओ

माना कि बड़े हो गए हो,
बर्थडे मनाना बचकाना लगता है तुम्हें,
पर फिर से बचपन के दोस्त को सरप्राइज़ ही कर आओ,
Whatsapp पर नहीं, गले लगाकर उसे wish कर आओ

जाओ थोड़ा घर से बाहर भी निकलो,
देखो, यह दुनिया कितनी रंगीन है,
यह दुनिया कितनी हसीन है,

समय यूँ ही बीत जाएगा,
फिर न लौट कर आएगा,
कुछ अपनी यादें ही बना लो,
मां के साथ कभी सब्जी मार्केट ही हो आओ,
पापा के साथ कभी मॉर्निंग वॉक पर ही चले जाओ,
दादा दादी के साथ आंगन की धूप में बैठ आओ,
फिर से साइकिल निकाल कर दोस्तों संग रेस लगा आओ,
रबड़ बॉल से क्रिकेट खेल आओ,
सीढ़ियों में बैठ कर घंटो गप्पे मारकर आओ
जाओ बच्चों बाहर घूम कर आओ,
सारा दिन घर में यूँ न सुस्ताओ॥

श्रीमती मालविका नरुला

अध्यक्षा : द.पू.रे, महिला कल्याण संगठन/आद्रा

अथर्व

हमारी ख्वाइशों का छोटा फरिश्ता है
भोला सा सुन्दर सा कितना प्यारा है

पापा ने बहुत सोचा और अथर्व इसका नाम दिया
इसकी भोली हँसी ने मन सबका मोह लिया
हँसता है मुस्काराता है कितना सबको भाता है
कोई सुग्गू कोई सोना तो कोई डुग्गू इसे बुलाता है

बोलतानहीं पर सब कुछ कहता है
अपनी हर करवट में बस माँ को ढूँढता है
नानी इसे गोपाल जी कन्हैया जी बुलाती है
मालीश करती है तो खुशी से इतराता है

बिस्तर पर सोते सोते थक जाता है
कभी करवट लेने की पूरजोर कोशिश
तो कभी साईकिल चलाता है
गोदी जल्दी से ना लो तो ज़ोर से बुलाता है

माँ का प्यारा राज दुलारा है
नाम माँ ने शुभ है दिया
पर डुग्गू, सोना, गोलू इसको बुलाती है
वो माँ है ना, अपने अंदाज़ में प्यार जताती है

ये जो लिख रहे हैं उसके पापा हैं
रह नहीं पाते बाबू के साथ पर
हर पल बाबू उनकी यादों में रहता है

अविनाश कुमार पाण्डेय

**उप मुख्य सामग्री प्रबंधक(वैगन) गार्डनरीच एवं
निवर्तमान राजभाषा अधिकारी/आद्रा**

परिदृश्य

खवाईश ज़िंदगी है,
उम्मीद ज़िंदगी ।
अनजान भय,
मानुष त्रस्त,
समय विकृत ।
अहंम मोह,
अमीर गरीब,
घमंड चूर ।
खवाईश ज़िंदगी है,
उम्मीद ज़िंदगी ।

तमसो मा
ज्योतिर्गमय

अज्ञान अंधेरा,
दृष्टि असमर्थ ।
अनुमान आशंका,
अवास्तविक समझ ।
भय अशांत,
भ्रम अहंकार ।
स्वनिर्मित ज़िंदगी,
स्वचित्र ज्ञानोदय ।
आत्म प्रबुद्ध,
भविष्य उज्ज्वल ।

कौशल गर्ग
वरिष्ठ मंडल संकेत व दूर संचार
अभियंता/आद्रा

मैं था और तुम थी

तुम्हारी उदासियों के समंदर में डूब के
कभी खुद को पाया था
कभी तुम्हारी हथेलियों की गर्माहट से
सुकून पाया था
कभी तुम्हारी बंद आँखों ने
मुझसे कहा था
वह सब कुछ जो वर्षों से समेटे हुये थे
कभी तुम्हारी लबों की थरथराहट में
नज़र आई थी
तुम्हारी मोहब्बत तुम बेचैन थे
बेचैन मुझे कर गए
तुम्हारी उदासियों के समंदर में
हम डूबते गए कि तूफान थमा
तुम्हारी आगोश में हम थे
जिंदगी कि एक नई सुबह का शोर था
राहें खामोश थीं
मैं थे और तुम थी

कृष्ण पाल सिंह

सहायक संकेत एवं दूर संचार अभियंता /आद्रा

भारतीय रेलवे: एकता और विविधता का प्रमाण

भारतीय रेलवे सिर्फ एक परिवहन नेटवर्क नहीं है; यह एक जीवंत एवं स्पंदित इकाई है, जो भारत की विशाल विविधता और एकता का प्रतीक है। देश की लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ, यह दूरदराज के गांवों को, हलचल भरे शहरों से, शांत घाटियों को शुष्क रेगिस्तानों से और बर्फ से ढके पहाड़ों को धूप वाले समुद्र तटों से जोड़ता है। यह जटिल प्रणाली केवल परिवहन के साधन से कहीं अधिक है; यह राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और एक अरब से अधिक लोगों की साझा आकांक्षाओं का प्रतीक है।

राष्ट्र की जीवन रेखा

दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक, भारतीय रेलवे 67,000 किमी से अधिक ट्रैक पर संचालित होती है, जिसमें प्रतिदिन 22,000 से अधिक ट्रेनें चलती हैं, जो सालाना 8 अरब से अधिक यात्रियों को ले जाती हैं। यह विशाल नेटवर्क भारत के विविध परिदृश्यों में फैला हुआ है, जो एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है जो देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को बनाए रखता है।

एकता का प्रतीक

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, अपनी असंख्य भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों और परम्पराओं के साथ, भारतीय रेलवे एकता और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक माध्यम है, जहाँ अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग, अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग-अलग परंपराओं का पालन करने वाले लोग, एक साथ आते हैं, कहानियां साझा करते हैं, और देश के हर क्षेत्र में यात्रा पर निकलते हैं। ट्रेन के डिब्बे सांप्रदायिक सद्भाव का स्थान बन जाते हैं, जहाँ यात्रा का साझा अनुभव लोगों को करीब लता है, विभाजन और मतभेदों की रेखाओं को धुंधला करता है।

भारतीय रेलवे एक अद्वितीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान की सुविधा भी प्रदान भी करता है। यह न केवल लोगों बल्कि विचारों, व्यंजनों, कलाओं और त्योहारों की भी अनुमति देता है उदाहरण के लिए, त्योहारी सीजन के दौरान, रेलगाड़ियों उत्सव का वाहक बन जाती हैं, न केवल यात्रियों को बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक उत्सवों का सर भी पहुंचती है। यह आदान-प्रदान यात्रियों के बीच

अपनेपन और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है, जो अपनी विविध उत्पत्ति के बावजूद, अपने साथी यात्रियों के सामूहिक सुख और दुख में भाग लेते हैं।

आर्थिक एकीकरण

सांस्कृतिक एकीकरण से परे, भारतीय रेलवे देश के आर्थिक एकीकरण में सहायक है। यहसुदूर कृषि क्षेत्रों को प्रमुख शहरी बाजारों से जोड़ता है, जिससे वस्तुओं, संसाधनों और सेवाओं को सुचारु प्रवाह संभव हो पाता है। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है, जिससे रेलवे भारत की विकास गाथा की रीढ़ बन जाता है।

भारतीय रेलवे की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं है। सुरक्षा, समय की पाबंदी, स्वच्छता और आधुनिकीकरण जैसे मुद्दों पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार और रेलवे ने इन चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की हैं, जिनमें हाई-स्पीड ट्रेनों की शुरुआत, सेवाओं का डिजिटलीकरण और सुरक्षा उपायों को बढ़ाना शामिल है।

भारतीय रेलवे एकता और विविधता की भावना का एक प्रमाण है जो भारत को परिभाषित करती है। यह दर्शाता है कि कैसे किसी देश का बुनियादी ढांचा केवल भौतिक परिवहन के साधन के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है; यह दिलों को जोड़ सकता है, विविध समाज के ताने-बाने को एक साथ बुन सकता है और राष्ट्र को एकीकृत भविष्य की ओर ले जा सकता है। जैसे-जैसे यह आगे बढ़ता जा रहा है, भारतीय रेलवे केवल पटरियों और रेलगाड़ियों से कहीं अधिक बनी हुई है; यह सामूहिक सपनों की यात्रा है, विविधता में एकता की यात्रा है।

कृष्ण पाल सिंह
सहायक संकेत एवं दूरसंचार
अभियंता/ आद्रा

मित्र बनाने में धीमे रहिये.. बदलने में और भी

-- बेंजामिन फ्रेंकलिन

मेरी चाहतें

सोने की अंगूठी में
हीरे का नगीना चाहती हूँ।
अपने जीवन को अपने
ढंग से जीना चाहती हूँ।

न तुमसे गिला
न उनसे शिकवा चाहती हूँ।
प्यारी सी ज़िंदगी में
प्यारा सा मितवा चाहती हूँ।

खुले नभ में पंछी की
उन्मुक्त उड़ान चाहती हूँ।
जो भी रहूँ मैं बस
अपनी भी पहचान चाहती हूँ।

न रोटी की हो चिंता
न वसन तन को छीने
रहने को सुकून से
अपना भी मकान चाहती हूँ।

न उधो से लेना हो
न माधव को देना हो
जहां हसरत न शेष हो
बस वही मुकाम चाहती हूँ।

कुछ भी न हो यदि मुमकिन
मेरे लिए यहाँ, बस
गूँजती रहे बांसुरी सदा
दिल में घनश्याम चाहती हूँ।
हर हाल में मगर
लबों पे मस्कान चाहती हूँ।

स्नेहलता पारिख

कामयाबी

कामयाबी चूमती उनके चरण |
जिन्होंने कर लिया श्रम का वरण ||
होसले मन में रहे एक लक्ष्य का |
गहन अध्ययन हो हर तथ्य का ||
असफलता का होगा तब चीर हरण |
श्रम से जब शोणित की बूंदें आयेगी ||
सच मानो मिट्टी में सोना उपजायेगी |
लक्ष्य में दोगे तुम जैसे अर्जुन - करण ||
हार मान लेना ही कायरता है |
भरत की संतान हो तो क्या गम है ||
भागना जिसने न सीखा छोड़कर रण |
कर्म-पथ से विचलित न हो अंत तक ||
मंजिल को छु लो चढ़ दिंगत तक |
कामयाबी-रश्मि जब तक कर लो धारण ||
श्रम के 'प्रकाश' से हिम - शिखर हिल
जायेगा |
इसकी रश्मियों से स्वर्ग सा बन जायेगा |
दुल्हन सा सजेगा सख्स ,ओढ़ कामयाबी का
आवरण ||

गज़ल

जिनका इंतज़ार किए जा रहे हैं
वो हमसे किनारा किये जा रहे हैं
नहीं देखा जाता बहारे चमन की
निस-दिन तबाही दिये जा रहे हैं
छोड़ा है जबसे कुशल-क्षेम पूछना
गमों के आँसू पिये जा रहे हैं
कठिन दिन आते हैं ज़िंदगी में
कभी-कभी
गुनाहों को उनके सिये जा रहे हैं
किनारा किया है निगाहों से अपने
हम निसार जिस पर हुये जा रहे
हैं
मुश्किल है जीना 'प्रेम' एक पल
भी उन बिन
सिला पे सिला वो दिये जा रहे हैं

प्रेम प्रकाश उपध्याय
वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/ आद्रा
आरेखण एवं अभिकल्पन

खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। --- महात्मा गांधी

राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधियां



8/5/2024 को मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 140वीं बैठक माननीय श्री सुमित नरुला, मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित की गई।





8/2/2024 को मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 140वीं बैठक माननीय श्री सुमित नरुला, मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित की गई।



राजभाषा संबंधी कार्यशालाएं एवं बैठकें



दिनांक 11.10.2023 को चांडिल स्टेशन पर आयोजित हिंदी कार्यशाला की एक झलक



दिनांक 11.10.2023 को चांडिल स्टेशन पर आयोजित हिंदी कार्यशाला की एक झलक



दिनांक 28.05.2024 को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/आद्रा में आयोजित हिंदी कार्यशाला की एक झलक



दिनांक 28.05.2024 को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/आद्रा में आयोजित हिंदी कार्यशाला की एक झलक



दिनांक 09.07.2024 को आर.ओ.एच/बोकारो में आयोजित हिंदी कार्यशाला की एक झलक



दिनांक 25.09.2024 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/आद्रा में आयोजित हिंदी कार्यशाला की एक झलक



दिनांक 11.06.2024 को आयोजित हिंदी प्राज्ञ परीक्षा की एक झलक



दिनांक 11.06.2024 को आयोजित हिंदी प्राज्ञ परीक्षा की एक झलक



दिनांक 29.06.2024 को स्टेशन प्रबंधक कार्यालय/बर्नपुर में आयोजित राजभाषा बैठक



दिनांक 28.06.2024 को स्टेशन प्रबंधक कार्यालय/अनारा में आयोजित हिंदी कार्यशाला की एक झलक

मंडल की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ



दिनांक 30.08.23 को श्री सुमित नरुला, मंडल रेल प्रबंधक डिवीजनल रेलवे यूजर्स कन्सल्टटिव कमिटी की 114 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ।



दिनांक 18.08.23 को आयोजित सद्भावना दिवस की पूर्व संध्या पर सद्भावना शपथ दिलाते हुए तत्कालिन अपर मंडल रेल प्रबंधक, श्री सुधांशु शर्मा।



सेरसा स्टेडियम आद्रा में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक/आद्राश्री सुमित नरुला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते एवंपरेड का निरीक्षण करते हुए।



श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो,माननीय सांसद/पुरुलियादिनांक 02.09.23 को आद्रा स्टेशन पर नव निर्मित लिफ्टों का उद्घाटन करते हुए। साथ में, काशीपुर के माननीय विधायक ,श्री कमलकांत हँसदा,पारा के माननीय विधायक श्री नादिर चंद बाउरी एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री सुमित नरुला।



दिनांक 06.9.23 को बोकारो स्टेशन परिसर में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से श्री पशुपति नाथ सिंह, माननीय सांसद/धनबाद के कर कमलों द्वारा एक नवनिर्मित पैदल उपरि पुल और दो लिफ्टों का उद्घाटन सम्पन्न हुआ। माननीय विधायक/ बोकारो श्री बिरंची नारायण जी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।



झांटीपहाड़ी रेलवे स्टेशन पर पुरूलिया-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ठहराव का उद्घाटन करने के लिए माननीय शिक्षा राज्यमंत्री सह सांसद/बांकुड़ाई सुभाष सरकार ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिनांक- 07.09.2023 को रवाना किया।



दिनांक 13.09.23 को आद्रा मंडल में कार्य निष्पादन की समीक्षा बैठक महाप्रबंधक , दक्षिण पूर्व रेलवे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।



दिनांक 05.10.23 को टाटा-आरा एक्सप्रेस ट्रेनसं 18183 के टहराव का उद्घाटन माननीय सांसद/पुरुलिया श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो ने बड़ाभूम स्टेशन पर ट्रेन को झंडी दिखा कर किया।



दिनांक 06.10.2023 को आयोजित मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के दौरान " आद्रा दर्पण" पत्रिका का विमोचन किया गया।



दिनांक 19.10.2023 को "बांकुड़ा स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2 और 3पर नवनिर्मित लिफ्ट का उद्घाटन करते माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, भारतसरकार,-डॉ सुभाष सरकार।



दिनांक 24.11.23 को संविधान दिवस के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक/आद्रा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान के प्रति निष्ठा रखने हेतु शपथ दिलाते हुए।



मंडल रेल प्रबंधक के कॉन्फ्रेंस रूम में दिनांक 06.10.23 को महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन हुआ।



दिनांक 15.12.23 को आद्रा मे डिवीजनल रेलवे यूजर्स कॅन्सलेटेटीव कमेटी की 115 वीं बैठक आयोजित की गई।



मंडल रेल प्रबंधक/अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में अंतर मंडल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2023-24 को आयोजित किया गया ।



दिनांक 16.01.24 को म.रे.प्र/आद्रा एवं अपर म रे प्र की गरिमामय उपस्थिति में सेरसा-आद्रा द्वारा 19 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए टी -20 म. रे. प्र/आद्रा कप का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया।

पापा

कितने ही गम को सीने में, छुपाकर रखते हैं पापा
बच्चों की हर एक खुशी को, कुछ भी कर सकते हैं पापा ।

घर की जरूरत पूरा करने को, कड़ी मेहनत करते हैं पापा
अपने बच्चों पर आंच जो आई, तो दुनियाँ से लड़ते हैं पापा ।

अपनी इच्छा को ताक पे रखके, बच्चों की इच्छा पूरा करते हैं
पापा
बच्चों की भलाई की लिए, सारी दुनियाँ की ताने सहते हैं पापा ।

गलत राह अगर मैं पकड़ूँ तो, फिर मुझे समझाते हैं पापा
सही राह पर मुझे लाके, अपना प्यार जमाते हैं पापा ।

अपने बेटी के लिये, बड़े प्यारे होते हैं पापा
फिर विदाई के समय में, छुप- छुपकर रोते हैं पापा ।

विवेक कुमार
कनिष्ठ लिपिक/चिकित्सा/आद्रा

हिंदी से किसी भी भारतीय भाषा को भय नहीं है, यह सब की सहदोरा है।

--महादेवी वर्मा

लोगों के अलग

न जाने क्या हो गया, सब लोगों को आज
औरों की बुराई करने से, न आते हैं बाज
सभी लोग बना रखें हैं, अलग ही अपना भेष
ऊपर से शरीफ है दिखतें, मन में रखते द्वेष
प्यार अपनापन नहीं है मिलता, अब किसी के द्वारा
न जाने कैसे हो गया, लोगों के अलग विचार।

आज कहीं पर खो गया, भाई-भाई का प्रेम
एक पूछना भूल गया, दूसरे का कुशलक्षेम
जब भी बोले मुंह से निकले, उसके कड़वे बोल
आज मिट्टी में मिल गया, मीठी बोली के मोल
मुंह से मीठी बातें ही, होतें हैं असल शृंगार
न जाने कैसे हो गया, लोगों के अलग विचार।

बिन सोचें ही दे देते हैं, अपने ही दिल पर घाव
कर लेते हैं आपस में, बिन बात के मनमुटाव
नहीं रहा एक दुर्जे में, भावनाओं का कोई कदर
काट लेंगे अकेले ही, जीवन का ये सफर
दुःख होता है देखकर, टूटता हुआ परिवार
न जाने कैसे हो गया, लोगों के अलग विचार।

कोई नहीं समझता है, औरों के जज़्बात
आज बहुत जरूरी है, एक दूजे का साथ
बन जाओ तुम यारों का, एक सच्चा हमराज़
थोड़े से गम बाँट लो. अपनों का तम आज

विवेक कुमार
कनिष्ठ लिपिक/चिकित्सा/आद्रा

तेरी आंखे

चक्षु नयुन पर्याय आँख के,
तेरी आंखे परिभाषा है
पतझड़ की बागों में भटके,
भवरो के मन की आशा है।

जिसने जीती धरती धरती अंबर,
शौच है जिसका दावानल
हार गया सादे नैनों से,
पलकों में समा बना काजल ॥

मेरी आँखों के ख्वाबों में,
तेरी आँखों का डेरा है ।
रात बीती आँखों में तेरी
तेरी आँखों में सवेरा है ॥

जादू तेरी भूरी आँखों की,
मेरे अधरों की भाषा है।
प्रेम तृप्ती तेरी आँखों की
किरणों की अभिलाषा है ॥

श्री मुकुल आनंद
वरिष्ठ वाणिज्य लिपिक
सह
टिकट परीक्षक/बर्नपुर

पापा की परी

पापा जी एक बात बताइये,
पूछती है बेटी आपकी आप न छुपाइये,
अब मुझे और न सताइये,
आपकी लाइली है कैसी ?
एक बार पता लगाइये।

इयूटी से आते ही,
आवाज हमे लगाते थे,
चॉकलेट हो या केक,
मेरे हाथ मे थमाते थे,
अब मैं तो हूँ नहीं,
अब किसको देते है बताइये ?
आपकी लाइली है कैसी ?
एक बार पता लगाइये।

बेटी थी मैं अकेली प्यारी,
माँ की दुलारी, पापा की न्यारी,
घर मे हो होली या दिवाली,
घाघरा चुनरी मेरी सिलाई,
अपने पुराने कपड़े और साइकिल,
मे मुझे पटाखे थी दिलाई,
अब किसके साथ जलाते पटाखे बताइये,
आपकी लाइली है कैसी ?

जिंदगी भर जो कमाया,
हमे संस्कार सिखाने मे लगाया,
हमारी पढ़ाई मे लगाया,
बची-खुची मेरी शादी मे लगाया,
अब क्यूँ जमा कर रहे है बताइये ?
आपकी लाइली है कैसी ?
एक बार पता लगाइये।

छुप-छुप कर रोते थे आप,
कहते थे मन न लगेगा,
बेटी की बिदाई के बाद।
कभी चोली तो कभी खरीदते गहने,
अपने बदन मे कभी नए कपड़े न पहने,
अब तो मैं विदा हो गई,
अब किसके लिये कमाते है बताइये ?
आपकी लाइली है कैसी ?
एक बार पता लगाइये।

पापा जी, ओ पापाजी, प्यारे बाबूजी
पहले वाली प्यार जताइये,
हमें गले से लगाइये

अनीता तिवारी
पत्नी- सिद्धनाथ तिवारी
मु. नियंत्रक/आद्रा/कंट्रोल

यदि भारतीय लोग कला, संस्कृति और राजनीति में एक रहना चाहते हैं, तो इसका माध्यम हिंदी ही हो सकती है।

- चक्रवर्ती राजगोपालचारी

माँ तुझे

ओ माँ तुझे सलाम
मेरा मस्तक झुक गया
ले तु मेरा प्रणाम
ओ माँ तुझे सलाम
तेरी गोद मे खिला हुआ
मेरी कहानी
देश के प्रति हेमेशा
समर्पित रहेगा, मेरी भरी जवानी
तेरे रंग मे रंगिन होकर
हम लिखेंगे एक नई कहानी
तेरा वह प्यार
हमपे रहेगा उधार
तेरे कदमो मे
हम हमेशा रहेंगे न्याछावर
ओ माँ तुझे सलाम,
तेरा वह प्यार
देश के हर नागरिको के नाम
जाँबाज सेनानी हमारी
लिखेंगे नई द्वौर की नई कहानी
मातभमि से होकर उजागर

श्री सजल बासु राय
कार्यालय अधीक्षक/ व.मं.वा.प्रबधक/आद्रा

"चाय की प्याली"

बस छोड़ते ही बिस्तर एक आस सी होती है,
मधुर सी वो प्याली जो चाय की होती है,
तारो ताजा कर देती है तन मन विचार को,
जगाती है अच्छे दिन की आस, वो चाय ही होती है!!
कार्यालय में घुसते ही, कार्य की शुरुआत पर,
मित्रों के मिलने पर, खुशी के इजहार पर,
आगतुकों के आने पर, अपनापन दिखाने पर,
हम सबके दिल को भाती है, वो चाय ही कहलाती है...
फाइलों और कार्यों के बीच तनाव पर,
मध्यांतर और कार्य समापन के भाव पर,
चलते और मिलते हुए हर पड़ाव पर,
सुकून का जो एहसास कराती है, वो चाय ही होती है...
मुझे तो और भी अच्छा लगता है,
जब मिट्टी का सुगंध लिए वो चाय होठों से लगती है,
देश के लिए कुछ कर गुजरने को मन मचलती है,
एक प्याली अच्छी चाय न जाने क्या क्या आस जगाती है
दिल को भाती है, स्वचंद एहसास कराती है और अपनापन बोध कराती
है.....

मनोज कुमार सिंह, निरीक्षक,
यात्री सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा बल/आद्रा

पास बुलाते बर्फीले जन्नत

यूं तो कश्मीर जाने की योजना मात्र से ही मन रोमांचित हो उठती है। और जब आद्रा मण्डल रेलवे विभाग से प्रेमपूर्वक मुफ्त चयन हो तो पहाड़ के तन-बदन पर गदराये बर्फ और सेब के फलों के संस्कार में पगे पहाड़ वासियों के स्मरण मात्र से आत्मा तृप्त हो जाती है। सचमुच सेवा और सत्कार का सही अर्थ पहाड़ वासी सिखाते हैं। वहाँ के चीड़ ऊर्जा का पर्याय है तो देवदार देवतुल्य क्षमा और शीतलता का पर्याय है। फिर इनकी छत्र-छाया में विकसित व्यक्ति का व्याकतीत्व कितना प्रकृति प्रदत्त होगा यह तो वही बता सकता है जिसने एक रात श्रीनगर और दो रात पहलगाम में बीता कर अंतस से अनुभव किया हो।

7 जनवरी 2024 से 14 जनवरी 2024 तक का कश्मीर यात्रा का सफर मुझे और मेरे परिवार को द. पू. रे. के रेल परिवार के साथ रूबरू होने का शानदार मौका मिला।

जम्मू स्टेशन की फोटो सत्र के बाद सेब बगीचा और चीड़-देवदार पेड़ों को चीरती हुई हमारी कार श्रीनगर पहुंची। श्रीनगर के होटल नगीना में था हमारा बासेरा। होटल नगीना से मुख्य द्वार के बाहर मुस्कुराता अखरोट। खिड़की का परदा हटाते ही मानो बादल कमरे के अंदर बर्फ के साथ प्रवेश करने वास्ते झगड़ रहे हो और पर्वत श्रींखलाये, मंद-मंद मुस्कुराते झरनों का नजारा आँखों को चकाचौंध कर रही थी। डल झील में शिकारा बोट राइडिंग और वादी की शरदी में गर्म कावा पेय की गर्मी बेमिशाल थी। निशांत बाग, शालीमार बाग, चसमेशाही और मुगल गार्डन की शैर डल झील की तीरे-तीरे महसूस हो रही थी मानो हम मुगल नवाब के दरबार में शैर कर रहे हो।

गुलमर्ग कहूँ या बर्फ का देश प्रतीत हो रही थी मानो हम स्वर्ग के आस-पास मंडरा रहे हो और फिर पहलगाम में न्यू टूलिप रिजॉर्ट और वहाँ के कश्मीरी भोजन अतुलनिये। पहलगाम के आरु वैली, बेताब वैली, चंदनवारी का प्राकृतिक नजारा और बरफ़ों का फुहार ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पहाड़ों को अपने सफेद चादरों के आगोश में ले लिया हो या यूँ कहूँ कि मानो स्वयं शंभू कैलाश से पृथ्वीलोक पर उतरने ही वाले हो। जो आनंद और प्रकृति की सौन्दर्य का व्याख्यान करने वाले शब्द ही शब्दकोश में बनी ही न हो। खरीदारी भी हमने खूब किया गर्म कपड़े, अखरोट, केसर, स्वादिष्ट सेब। इतना ही नहीं कश्मीर में भारतीय रेल का सफर अनंतनाग से बनिहाल तक और फिर बनिहाल से वापस जम्मू स्टेशन तक का सफर कार से हुई। नजारा तो स्वर्ग का था तभी तो हम इसे जन्नत कश्मीर का दर्जा देते हैं।

हमारा अनुभव बताता है कि पहाड़ों का आनंद जितना मस्त है वहाँ के लोगों का जीवन-यापन उतना ही कठिन है। परंतु आगंतुकों के सेवा में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। दिन भर का थकान और रातों की मदमस्त नींद के साथ हमारा कश्मीर भ्रमण का वर्णन करने लायक शब्द ही नहीं है हमारे जेहन में। अंततः 14 जनवरी यात्रा समाप्त कर वापस अपने कर्मस्थली प्रदेश आद्रा में कर्म की पूजा को सार्थक करने के लिए पहुँच गए।

सिद्धनाथ तिवारी
मुख्य नियंत्रक/आद्रा

नाम गुम जाएगा

पक्की बात! नाम है तो गुम जाएगा। न हो तो गुमने का सवाल नहीं लेकिन हो तो खतरा है। नाम गुम जाएगा- जैसे दिलीप कुमार का गुम गया, जैसे रमुआ का गुम गया, जैसे बहादुर का गुम गया जैसे आधी प्याली चाय का गुम गया। अजी न बुझौवल है न बझौवल है। दिलीप कुमार का नाम यूसुफ खान था। फिल्म इंडस्ट्री में गुम गया। कोलकाता के जितने घरेलू नौकर हैं रमुआ ही कहे जाते हैं, मुम्बई की नौकरानियां सगगू बाई और नाईट गार्ड पूरे भारत में बहादुर ही कहे जाते हैं। आधी प्याली चाय मांगना हो तो लोग कहेंगे - ला भई, एक कटिंग दे।

फिर भी लोग नाम के लिए क्या-क्या नहीं करते। नाम के लिए पुरस्कार पाने की तमाम जुगत भिड़ाते हैं। एक से एक कारनामे करते हैं। कोई ब्लेड खाता है तो कोई पूरी की पूरी तलवार अपने हलक में उतार लेता है। कुछ लोग तो अपना सम्मान खुद प्रायोजित करते हैं और सम्मान करनेवालों को आकर्षक मेहनताना भी देते हैं। एक मित्र ने अपने नाम से ही मनीआर्डर कर दिया और डाकिए को मेरे सामने ही बुलवाया। रोकड़ा प्राप्त करने पर बताया कि किसी पाठक ने प्रकाशित कविता पर खुश होकर पुरस्कार भेजा है। मतलब साथ ही यह भी बता कम जता ज्यादा देना चाहते थे कि उनकी कविता छपी भी थी। आप ही बताइए- बात हजम होनेवाली है? एक तो हिंदी की रचना उस पर कविता और प्रकाशित कविता पर पाठक का पुरस्कार भेजना? यहां तो लोग चाय पिलाने की शर्त पर भी सुनने तक को तैयार नहीं। लेकिन मैं दूसरों की ही तरह कुछ नहीं कर पाता तो संतोष कर लेता हूं। मित्र की बात सच मानने का नाटक कर गया। मेरे एक परिचित उपन्यासकार लगभग कई बार सम्मानित हो चुके हैं। वैसे दो-एक बार सम्मानित होने पर मुझे कोई एतराज नहीं होता। आप नाम जानना चाहें तो उनसे पूछकर बता दूंगा। नाम के पीछे पागल हो गए लगते हैं लोग!

लेकिन रामराजातला प्लेटफार्म पर जिस लड़के ने आंखों पर कपड़ा रखकर और उस पर लोहे का सरिया का एक सिरा तथा दूसरा सिरा जमीन पर टिकाकर सरिया मोड़ने का करतब दिखाया वह शुद्ध पेट के लिए था। मुझे क्या, शायद उसका नाम किसी को मालूम न होगा।

एक दंपति था। चौबीस कैरेट सर्वहारा। ऐसा खांटी सर्वहारा कि उसमें जोड़ने के लिए जगह नहीं थी और घटाने के लिए कुछ नहीं था। रोज कुआं खोदना। दोनों प्राणी दिनभर खटते

सर्वहारा बेसहारा के पास मनोरंजन के लिए या तो ईश भजन होता है या दूसरों का मनोरंजन करना होता है। हमारे समाज के विज्ञानी केवल एक मनोरंजन बताते हैं सर्वहारा का; और देश की जनसंख्या वृद्धि इसी का नतीजा बताते हैं। लेकिन वह मनोरंजन भी बेनतीजा। बहुत तरसने और माता काली के दरबार में वर्षों हाजिरी और भजन कीर्तन करने के बाद एक बेटा हुआ। उसे माता काली का प्रसाद समझकर नाम रखा गया काली प्रसाद। दंपति ने सपने देख डाले। यह करेंगे वह करेंगे। मियां-बीवी दोनों जांगर लगाएंगे, बेटे को ऐसा बनाएंगे नहीं तो वैसा बनाएंगे। वगैरह-वगैरह। लेकिन सर्वहारा तो सर्वहारा होता है। पता नहीं क्यों सर्वहारा पहले ही यह नहीं समझ जाता कि सपने पालने की बात तो बहुत दूर, सर्वहारा को सपने देखने की भी इजाजत नहीं है। नाम तो बुलाने लायक रखना चाहिए। लेकिन यह काली प्रसाद! समाज की त्यौरियां चढ़ गईं। अरे! काली प्रसाद कैसे हो जाएगा?

पाठक कलुआ नाम की व्युत्पत्ति समझ सकते हैं।

ये तो सर्वहारा था। उसे समझ ही कहां होती है। लेकिन ये जो गैर-सर्वहारा हैं। हद कर देते हैं नासमझी की! अरे पहले ही जांच-पड़ताल करवा लो कि आगे चलकर पुत्र नाटा होगा और नाम रख दो नट्टू। कम से कम बाद में समाज को तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस काम के लिए। लेकिन नहीं। नाम रखेंगे तीन किलोमीटर लंबा और जमाने की बार-बार या कहें कि हजार बार की कोशिश के बाद मान पाएंगे नट्टू नाम लेकिन उसके पहले हजार बार जमाने को बुरा-भला कहते रहेंगे कि मेरे बेटे का नाम क्यों बिगाड़ते हो।

अजी जैसे खाने की सुविधा के लिए रोटी को तोड़कर कौर छोटा बनाया जाता है, शासन की सुविधा के लिए राज्य को छोटे-छोटे टुकड़े किए जाते हैं, जिलों को छोटे-छोटे जिलों में बांटा जाता है, अध्ययन एवं बहस-मुबाहिसों की सुविधा के लिए शास्त्र को अलग-अलग शास्त्रों में बांटा जाता है, विषय को अध्यायों में बांटा जाता है, वैसे ही पुकारने की सुविधा चाहिए या नहीं ? कितनी तकलीफ होती है पुकारने में जरा ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर से पूछिए। फोन पर तमाम सूचनाएं देनी होती हैं। कौन-सी गाड़ी कहां अटकी है, कहां पार कर रही है, कब आएगी और न जाने क्या-क्या। इसी सब के साथ पड़ोसी स्टेशन से या किसी बोनाफाइड कस्टमर (टिकट लेकर चलनेवाला हो अथवा बेटिकट यात्री) का फोन आता है तो बोलना पड़ता है रामराजातला, गोदापियाशाल, नारायणपाकुडियामुड़ाइल। खैर उन्होंने तो बिना किसी लिखित आदेश के यह सुविधा ले ली है और किसी को इस पर एतराज नहीं है। बोल देते हैं रामतला(रामराजातला), जीएसेल (जीएसएल- गोदापियाशाल स्टेशन का कोड), नारान (नारायणपाकुडियामुड़ाइल के बदले) वगैरह। लेकिन लिखित रूप में नाम सही लिखते हैं। वैसे गारंटी नहीं है कि स्टेशनों के नाम गुम नहीं होंगे। आखिर बॉम्बे, मद्रास, और कोलकाता के मेट्रो रेल के कई स्टेशनों के नए नाम मार्केट में हैं। अहमदाबाद भी प्रयत्नलाघव की कठिनाई से रू-ब-रू है। लोग अमदाबाद कह ही देते हैं।

प्रयत्नलाघव के कुछ नमूने और हैं। मेरे एक परिचित तमिल व्यक्ति का नाम था कुलोत्तरण। समाज को बड़ी मेहनत करनी पड़ी कि इस जीभमरोड़ू नाम का क्या किया जाए। कितनी कठिनाई होती है किसी नाम को गुमाने और उसके स्थान पर नया नाम रखने में। लेकिन हिम्मत मर्दा मददे खुदा। सफलता मिल ही गई और नाम हो गया कुलाथूराम। वह शख्स इसी नाम के साथ सेवानिवृत्त हुआ।

मेरा एक सहपाठी था। वह भी तमिल परिवार का था। नाम था करूणानिधि। कुछ उसके बचपन में तमिलियन हिंदी में उच्चारण और कुछ हिंदी भाषी लिपिक के ज्ञान और सुनने-समझने के विवेक के सहयोग के बाद बाजार में उसका नाम हो गया करनानदी।

एक लड़की थी दीपान्विता। उसके मुहल्ले में उसका घर पूछा तो पता ही नहीं चला। गनीमत थी कि उसी समय वहां आ गई। मैंने उससे लोगों की शिकायत की तो उसने कहा “लोग मुझे “दीपा-नीपा” कहते हैं।

हमारे इलाके में एक होटल खुला था। नाम बांग्ला में था लेकिन अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उत्तर प्रदेश से नया-नकोर लाए गए हिंदी प्राध्यापक उपाध्यायजी ने पहली बार देखा तो खाना खाने का लोभ संवरण न कर सके। दूसरे दिन सुबह उन्होंने बताया, “ अरे, अपांजन में क्वालिटी मेनटेन करते हैं भाई!” होटल का नाम था “आपनजन”। वैसे उपाध्यायजी पहले भी बंगाली “देबब्रतो” का अपने रजिस्टर में “डेबब्राटा” के रूप में नामांकन कर चुके थे।

मुम्बई के “भाई” लोगों के नाम अक्सर दो शब्दों के होते हैं। लेकिन अगर कोई उस नाम को ही मूल नाम समझ ले तो वह गलत होगा।

कुछ नाम गुम नहीं होते। समय के साथ बदलते हैं। हमारे गांव के घुरहू जब काम करने लायक हुए तो लोगों ने नाम बदल दिया। घुरहुआ कहने लगे। लेकिन जब वह सरपंच बने तो घुरहू प्रसाद हो गए। अब मंत्री बन गए हैं तो लोग भइया कहते हैं और नाम के आगे जी लगाते हैं।

सही है - “एक्के फजलुआ के तीन-तीन नाम, फजलू, फजलुआ, फजलुर्रहमान”।

नाम गुम होने के बाद भी पहचान के लिए पुराने नाम के स्थान पर नया नाम आ ही जाता है।

लेकिन घुरहू और फजलू के माता-पिता, दादी-दादा, नानी-नाना जिस प्यार से भरकर घुरहू और फजलू कहकर बुलाते होंगे उस प्यार भरी पुकार का आधार तो गुम हो ही गया न! नया नाम चाहे कितनी ही खूबियों, विशेषताओं से सुशोभित क्यों न हो, पुराने नाम की कशिश और मजा उसी तरह नहीं दे पाता जैसे नए मित्र लाख चाहकर भी पुराने मित्रों जितनी और जैसी खुशी नहीं दे पाते।

मुन्ना सिंह
सेवानिवृत्त वरिष्ठ अनुवादक
आद्रा मंडल, दक्षिण पूर्व रेलवे

राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान

अध्याय 1-- संघ की भाषा

अनुच्छेद 120 - संसद में प्रयोग की जाने

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।
2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 210: विधान-मंडल में प्रयोग की जाने

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्यराज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।
परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।
2. जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो : परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें

आने वाले 'पंद्रह वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'पच्चीस वर्ष' शब्द रख दिए गए हों परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 'पंद्रह वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'चालीस वर्ष' शब्द रख दिए गए हों।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा

1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
2. खंड(1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था : परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।
3. इस अनुच्छेद में किसी बात केहोते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा
क. अंग्रेजी भाषा का, या
ख. अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रति-निधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।
2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को –
क. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,
ख. संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

- ग. अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा
- घ. संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,
- ङ. संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य की बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।
3. खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।
 4. एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
 5. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।
 6. अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुये भी, राष्ट्रपति खंड (5) में विनिर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस सम्पूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा।

अध्याय 2-- प्रादेशिक

अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए , किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा:

परंतु जब तक राज्य का विधान- मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी : परंतु यदि दो या दो से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों की बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

यदि इस में निर्मित मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यथाह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 – उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा --

1. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न कर तब तक --
 - क. उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी,
 - ख. i. संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किया जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के, - ii. संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के , और
 - iii. इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

2. खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुये भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियाँ में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत का सकेगा:

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिग्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

3. खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुये भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा

(iv). में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियों अधिनियमों करने के लिए विशेष प्रक्रिया -

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित या किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफरिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4 - विशेष निदेश

अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा -

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य की किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं -

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक - वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यकों-वर्गों के लिए विशेष अधिकार -

1. भाषाई अल्पसंख्यकों-वर्गों के लिए विशेष अधिकार होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।
2. विशेष अधिकारी का या कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक- वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को अनवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश -

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणत अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

अष्टम अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाएं

1. असमिया
2. उड़िया
3. उर्दू
4. कन्नड़
5. कश्मीरी
6. गुजराती
7. तमिल
8. तेलगु
9. पंजाबी
10. बंगला
11. मराठी
12. मलयालम
13. संस्कृत
14. सिंधी
15. हिंदी
16. मणिपुरी
17. नेपाली
18. कोंकणी
19. मैथिली
20. संथाली
21. बोडो
22. डोगरी

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्यांक 19)

उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

1. यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।
2. धारा 3, जनवरी, 1965 के 26 वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आपेक्षित न हो,

(क) 'नियत दिन से' धारा के संबंध में, जनवरी, 1965 का 26 वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है;

(ख) 'हिंदी' से वह दिन अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना

1. संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष कि कालावधि कि समाप्ति हो जाने पर भी, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही,
 - क. संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी; तथा
 - ख. संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी :

परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी:

परंतु यह और कि जहां कसी ऐसे राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादिके प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ हिंदी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा :

परंतु यह और भी की इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या

किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा।

2. उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा -

- i. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच;
 - ii. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच ;
 - iii. केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कंपनी या कार्यालय के बीच ;
- प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या विभाग या कंपनी का कर्मचारी वृंद हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा।

3. उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही -

- i. संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञापितियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं ;
- ii. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्राशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज- पत्रों के लिए ;
- iii. केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञापितियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएगी।

4. उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकी प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी

मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण है, वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं उनका कोई अहित नहीं होता है।

5. उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

4. राजभाषा के संबंध में समिति -

1. जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्षों की समाप्ति के पश्चात, राजभाषा के संबंध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।
2. इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
3. इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति का प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।
4. राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के यौसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा :

परंतु इस प्रकार निकले जे निदेश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

5. केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद -

1. नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित -
 - क. किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश का, अथवा
 - ख. संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

2. नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद -

जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस राज्या के विषमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आधायदेशों में प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार स नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समजा जाएगा।

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग-

नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया था दिया जाता है। वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. नियम बनाने की शक्ति-

1. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
2. इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के हर एक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. कतिपय उपबन्धों का जम्मू-कश्मीर को लागू न होना-

धारा 6 और धारा 7 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।

राजभाषा प्रश्नोत्तरी

प्रश्न 1: राजभाषा से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर : केंद्रीय सरकार के कार्यालयों एवं मंत्रालयों, इसके द्वारा नियुक्त आयोगों, समितियों एवं अधिकरणों के कार्यालयों तथा इसके स्वामित्व या नियंत्राधीन निगमों या कंपनियों के कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है।

प्रश्न 2: राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों को संक्षेप में प्रस्तुत करें ?

उत्तर : संविधान के भाग - 17 के चार अध्यायों में 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेदों में राजभाषा से संबंधित पूर्ण विवरण

है-संघ की राजभाषा (Language of the Union 343-344), प्रादेशिक भाषाएँ (Regional Language 345-347), उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा (Language of The Supreme Court, High Court, etc. 348-349) और राजभाषा संबंधी विशेष निर्देश (Special directives regarding Official Language 350-351)। इसके अलावा संसद तथा विधान मंडलों की भाषा का विवरण क्रमशः भाग -5 अनुच्छेद 120 और भाग -6 अनुच्छेद 210 में दिया गया है।

प्रश्न 3: हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है ?

उत्तर : संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। इसलिए हर वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।

प्रश्न 4: राजभाषा और राष्ट्रभाषा को स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर बताएं ?

उत्तर : राजभाषा का सीधा-सादा अर्थ है- राजकाज अर्थात् शासन-प्रशासन अथवा सरकारी कामकाज की भाषा। संविधान सभा स्वीकृति से 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी राजभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है- सामान्यशासन - प्रशासन, न्याय-प्रक्रिया, संसद-विधान मंडल एवं सरकारी कार्यालयों में प्रयोग हेतु संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा एवं लिपि तथा भारतीय अंको का रूप ही राजभाषा है।

राष्ट्रभाषा का अर्थ- एक राष्ट्र में समस्त राष्ट्रीय तत्वों को व्यक्त करने वाली भाषा जो राष्ट्र में भावनात्मक एकता कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हो राष्ट्रभाषा है।

राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर-

1. राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द। इस प्रकार राजभाषा प्रशासन की भाषा है तथा राष्ट्रभाषा जनता की भाषा।
2. समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्र भाषा में होती होती है जबकि केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है।
3. राजभाषा की शब्दावली सीमित है, जबकि राष्ट्रभाषा की शब्दावली विस्तृत।
4. राजभाषा, नियमों से बंधी होती है जबकि राष्ट्र भाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है।

5. राजभाषा में शब्दों का प्रवेश, निर्माण अथवा अनुकूलन (विशेषकर तकनीकी प्रकृति के शब्दों का) विद्वानों एवं विशेषज्ञों की समिति की राय से किया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा में शब्द समाज से आते हैं तथा प्रचलन के आधार पर रुढ़ होकर मान्यता प्राप्त करते हैं। इसके निर्माण में सभी का हाथ होता है।
6. राजभाषा, हिंदी भाषा का प्रयोजन मूलक रूप है इसलिए तकनीकी सृजन है। जबकि राष्ट्रभाषा, हिंदी भाषा का स्वाभाविक तथा पारंपरिक रूप है।
7. राजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का क्षेत्र इतना व्यापक कि उसका व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है।
8. राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग उत्तरोत्तर अंग्रेजी की जगह पर हो रहा है जबकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग स्वाभाविक स्वरूप से देश-विदेश सर्वत्र हो रहा है।

प्रश्न 5: अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं होने के बावजूद भारतवर्ष के कौन-कौन से राज्यों की राजभाषा है?

उत्तर : अंग्रेजी भाषा नागालैण्ड तथा अरुणाचल प्रदेश दो राज्यों की राजभाषा है।

प्रश्न 6: हिंदी में प्रवीणता प्राप्त से आप क्या समझते हैं?

उत्तर : हिंदी प्रवीणता- अर्थात् (क) जिसने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या (ख) जिसने स्नातक परीक्षा में अथवा समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, या (ग) यदि वह इन नियमों के प्ररूप में यह घोषणा करता/करती है कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

प्रश्न 7: हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान से आप क्या समझते हैं?

उत्तर : हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान – अर्थात् यदि किसी कर्मचारी ने – (क) मैट्रिक या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, (ख) केंद्रीय सरकार को हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या किसी विशिष्ट पद के लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, (ग) केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या (घ) यदि वह इन नियमों के प्रारूप में यह घोषणा करता/ करती है कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

प्रश्न 8: किस नियम के अंतर्गत मैन्युअल, संहिताएं, सूचना- पट्ट, पत्र-शीर्ष और रजिस्ट्रों के प्रारूप और शीर्षक इत्यादि हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी में होने अनिवार्य है?

उत्तर : राजभाषा नियम, 1976 के नियम (11) के अनुसार (1) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैन्युअल,

संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में मुद्रित किये जाएंगे और प्रकाशित किये जाएंगे। (2) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्ट्रों के प्ररूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। (3) केंद्रीय सरकार के

किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना-पट्ट, पत्र-शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी।

प्रश्न 9: हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा स्वीकार किए जाने के बाद भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया था कि संविधान प्रारंभ होने से 15 वर्षों तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती रहेगी और हिंदी सह भाषा होगी परंतु 15 वर्षों के बाद अर्थात् 26 जनवरी, 1965 से हिंदी मुख्य राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी और अंग्रेजी सह भाषा होगी। परंतु भारतवर्ष की स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हिंदी को मुख्य राजभाषा के रूप में क्यों नहीं प्रयोग में लाया जा रहा है, कारण बताएं ?

उत्तर : स्वतंत्रता प्राप्ति के 15 वर्षों बाद हिंदी मुख्य राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी, इस बात पर तमिलनाडु में हिंदी के विरुद्ध काफी विरोध बढ़ा तो राजभाषा अधिनियम, 1963 का 1967 में संशोधन किया गया जिसके अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग तब तक किया जाता रहेगा जब तक हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्य व अंग्रेजी के प्रयोग को समाप्त करने हेतु अपनी विधान सभाओं में प्रस्ताव पारित न कर लें और संसद के दोनों इन प्रस्तावों का अनुमोदन न किया जाए ।

प्रश्न 10: राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर : केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट करते हुए हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूपण तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों में केवल हिंदी का प्रयोग करने के लिए व्यक्तिशः आदेश दे सकती है।

प्रश्न 11: राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर : जिस कार्यालय के 80% कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उस कार्यालय को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

प्रश्न 12: राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व किसका है ?

उत्तर : राजभाषा नियम, 1976 के नियम (12) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह - (1) यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंध और उपनियमों के अधीन जारी किए गए निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है (2) वे इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के उपाय करें।

प्रश्न 13: किस नियम के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है ?

उत्तर : राजभाषा नियम 1976 के नियम (5) के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है।

प्रश्न 14: किस नियम के अंतर्गत कोई कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है?

उत्तर : राजभाषा नियम 1976 के नियम (7) के अनुसार कोई कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। इसके साथ-साथ यदि कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन में हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाना है।

प्रश्न 15: राजभाषा नियम 1976 के अनुसार अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह संघराज्य (केन्द्र शासित प्रदेश) किस क्षेत्र के अंतर्गत है ?

उत्तर : 'क' क्षेत्र के अंतर्गत है।

प्रश्न 16: भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में राजभाषा नीति की जानकारी दी गई है ?

उत्तर : भारतीय संविधान के भाग- 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत राजभाषा नीति की जानकारी दी गई है।

प्रश्न 17: राजभाषा अधिनियम, 1963 को कौन-कौन सी धारा जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होती है

उत्तर : राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (6) जो अधिनियमों के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद से संबंधित है तथा धारा (7) जो उच्चतर न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है- ये दोनों जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होती है।

प्रश्न 18: राजभाषा नियम, 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं ?

उत्तर : राजभाषा नियम, 1976 तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होते हैं।

प्रश्न 19: किन-किन राज्यों ने उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है ?

उत्तर : आन्ध्रप्रदेश और बिहार।

प्रश्न 20: राजभाषा अधिनियम, 1963 क्यों पारित किया गया ?

उत्तर : 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए अधिनियम, 1963 पारित किया गया।

प्रश्न 21: राजभाषा नियम, 1976 का संशोधन कब किया गया ?

उत्तर : राजभाषा नियम, 1976 का पहला संशोधन दिनांक 28.06.1987 को किया गया अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को क्षेत्र 'ग' से हटाकर क्षेत्र 'क' में लाया गया। दूसरा संशोधन दिनांक 04.05.2011 को किया गया जिसके अनुसार दमन आर दीव तथा दादर और नगर हवेली को क्षेत्र 'ग' से हटाकर क्षेत्र 'ख' में लाया गया।

प्रश्न 22: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था ?

उत्तर : 7 जून, 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था।

प्रश्न 23: राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे एवं कितने सदस्य थे ?

उत्तर : राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बी.जी. खेर थे तथा विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि 21 सदस्य थे।

प्रश्न 24: राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित संसदीय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तथा कितने सदस्य थे ?

उत्तर : संसदीय समिति के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे तथा 30 सदस्य थे जिनमें 10 राज्य सभा तथा 20 लोकसभा से सदस्य थे।

प्रश्न 25: रेल बजट हिंदी में सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया था ?

उत्तर : तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 1956 में सबसे पहले रेल बजट हिंदी में प्रस्तुत किया गया था।

प्रश्न 26: केन्द्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं ?

उत्तर : प्रधान मंत्री।

प्रश्न 27: संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों का निरीक्षण करती है ?

उत्तर : दूसरी उपसमिति।

प्रश्न 28: राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ ?

उत्तर : 10 मई 1963

प्रश्न 29: राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ ?

उत्तर : 1967

प्रश्न 30: राजभाषा अधिनियम के अधीन वर्गीकृत तीन क्षेत्र कौन-कौन से हैं ?

उत्तर : क, ख, तथा ग क्षेत्र।

प्रश्न 31 : क क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राज्य कौन-कौन से हैं ?

उत्तर : बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्राखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र।

प्रश्न 32: ख क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राज्य कौन-कौन से हैं ?

उत्तर : गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और द्वीप तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

प्रश्न 33: ग क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राज्य कौन-कौन से हैं ?

उत्तर : क्षेत्र क और क्षेत्र ख में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न अन्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।

समाप्त
